है। पत्रावली वास्ते बहस दि॰ 24-8-24 को पेश हो।

24/8/24	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय। बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 31/8/24 को पेश हो।
31/8/24	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय। बहस हेतु अवसर चाहा। अन्तिम मौका दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/9/24 को पेश हो।
10.9.24	पत्रावली पेश हुयी। बहस एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 04/10/2024 को प्रशासन गांवो के संग अभियान मे पेश हो।
04/10/2024	पत्रावली मे विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली बाद फैसला शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

7. अपील अपीलान्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करवायी रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की सम्यक रूप से तामील होने के बावजूद भी उनकी ओ कोई उपस्थित नही हुआ। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को अनेक अ दिये जाने उपरान्त भी हाजिर नही आने से एकपक्षीय का अमल मे लायी गयी।

8. अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में खातेदार झूंथाराम का प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा जारी वारिस प्रमाण दिनांक 15.01.2018 पेश किया जिसमें अपीलाण्टस् को खातेदार झूंथाराम का वारिस दर्शाया गया है।

9. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के क का दौहराते हुये बताया कि उक्त नामा0 1266 में स्व0 झूथ के विधिकि वारिस होने के बावजूद अपीलान्ट्स का नाम नही किया। व न ही ग्राम पंचायत ने उक्त नामा0 स्वी करने से पूर्व कोई नोटिस जारी किये। अतः उक्त नामा0 1266 विधि विरुद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अ अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामा0 1266 को खारिज वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अपीलान्ट्स के पक्ष में दर्ज जावें।

11. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई एवं अपील को मैरीट पर दे गया। जिससे जाहिर है कि नामा0 सं0 1266 में अपीलान्ट मृतक खातेदार के वारिस होने के बावजुद भी नाम दर्ज न किया गया। अतः नामा0 तथ्यों के विपरीत एवं गलत भरा ग है। एवं ग्रा0प0 मावण्डा खुर्द द्वारा भी बिना किसी प्रकार जॉच किये ना0क0 स्वीकार किया है जो अवैध एवं प्रभाव शु होने से अपास्त किया जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या नामा0 सं0 1266 दिनांक 20.03.2004 ग्राम पंचाय मावण्डा खुर्द अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदा नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता कि मृतक खातेदार झूंथाराम पुत्र शिवनारायण के विधि वारिसान की जांच कर पुनः ना0क0 कर फैसल करे पत्रावली बाद फैसल शुमार से कम होकर दफ्त दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:46:16 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner